2010/00071

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2010 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स महावीर रबडी भण्डार, दुकान नम्बर 25.26 गुरू नानकपुरा, राजापार्क, जयपुर।
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जीवछ यादव, निवासी सकडी मदवानी बिहार हाल 104, मिनर्वा गेट के पीछे, सांगानेरी गेट जयपुर नोकर फर्म।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच.पी.सी. व 1 आई.ओ.सी.) मय एल.पी. जी. 9.500 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–
1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2010 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों के वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स महावीर रबडी भण्डार, दुकान नम्बर 25–26 गुरूनानकपुरा, राजापार्क जयपुर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जीवछ यादव निवासी सकडी मदवानी बिहार हाल 104, मिनर्वा गेट के पीछे, सांगानेरी गेट जयपुर उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को इस दुकान का नोकर होना अवगत कराया। श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि कि उसके पास किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं है, सब कुछ मालिक श्री अनू बाबू के पास है। इस दुकान पर रबडी, आलू प्याज की सब्जी, लहसून की चटनी बनाकर बिक्री करने का व्यवसाय किया जाता है। मौके पर दुकान की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी. एस आर नम्बर 205451 व आई.ओ.सी. एस आर नम्बर 929266) दुकान में रखे पाये गये। फर्म द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स जयपुर गैस के हॉकर श्री राजू पुत्र श्री नन्दलाल निवासी प्लाट नम्बर 16 रामनगर झोटवाडा, जयपुर को सॉल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया, जिस पर सिलेण्डरों में 09.500 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। इस प्रकार प्रदीप कुमार एवं फर्म महावरी रबडी भण्डार द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच.पी.सी. व 1 आई.ओ.

जिला कलक्टर
जयपुर

सी.) मय एल.पी.जी. 09.500 किलोग्राम सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स जयपुर गैस आई.ओ.सी. जयपुर के कार्यकर्ता श्री नरपत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, निवासी 242, सिंह भूमि खातीपुरा जयपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच.पी.सी. व 1 आई.ओ.सी.) मय एल.पी. जी. 9.500 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 25.01.2010 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री के.डी. शर्मा अभिभाषक ने अण्डर टेंकिग प्रस्तुत की। तथा जवाब व वकालतनामा पेश करने हेतु अवरार चाहा। दिनांक 23.09.2019 को अप्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार नियत की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान दुकान की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच.पी.सी. व 1 आई.ओ.सी.) मय एल.पी.जी 9.500 किलोग्राम रखे पाये गये। दुकान में रबडी, आलू प्याज की सब्जी, लहसून की चटनी बनाकर बिक्री करने का व्यवसाय किया जाता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। फर्म द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच. पी.सी. व 1 आई.ओ.सी.) मय एल.पी.जी. 09.500 किलोग्राम राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 18.10.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण मैसर्स महावीर रबडी भण्डार दुकान की जांच करने पर आई.ओ.सी. के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (1 एच.पी. सी. व 1 आई.ओ.सी.) रखे पाये गये। दुकान में रबडी, आलू प्याज की सब्जी, लहसून की चटनी बनाकर बिक्री करने का व्यवसाय किया जाता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत

जिला कलक्टर
जयपुर